# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 15/22 सन् 2022
जीसीएमएस संख्या 2022/141
बउनवानी:—

1. जयप्रकाश पुत्र सीताराम कंजर निवासी रामगढ ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा

**बनाम**

1. रूपचन्द सोयल पुत्र रामनारायण सोयल जाति खटीक निवासी सुभाष नगर कॉलोनी कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 15/2022 अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 22.7.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम,1955 )

उपस्थित:— 1. श्री श्रीदास राजावत वकील अपीलान्ट,
2. श्री रघुनन्दन सिंह वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— दिनांक 26.11.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 22.7.2022 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध तरीके से एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को बिना सुवायी का अवसर दिये पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आराजी ख0न0 2478/5186 रकबा 0.26 है0 ग्राम भगवतगढ का पुराना ख0न0 1700मिन है जिसका आवंटन रघुनाथ बैरवा को हुआ था तथा रघुनाथ द्वारा उक्त भूमि का दान पत्र कांता देवी को कर दिया किन्तु उक्त भूमि पर रघुनाथ एवं कांता द्वारा कभी फसल काश्त नही की गयी है, कान्ता देवी द्वारा भी दिनांक 2.12.2020 को उक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र रेस्पो0 को बेचान कर दी किन्तु रेस्पो0 का भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त ख0न0 2478/5186 रकबा 0.26 है0 पर कंजर बस्ती की आबादी पिछले 50 वर्षो से बसी हुई है जिसपर अपीलान्ट एवं अन्य लोगो के रिहायशी मकान बने हुए है। यह तर्क भी दिया कि आवंटी रघुनाथ बैरवा को 6 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी परन्तु ख0न0 1700 का कुल रकबा 3 बीघा ही है वास्तव में आवंटी रघुनाथ बैरवा को ख0न0 1693 रकबा 292 बीघा 10 बिस्वा मे से आवंटन किया गया था परन्तु सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियो ने ख0न0 1700 का नया ख0न0 2478/5186 रकबा 0.26 है0 गलती से बना दिया है इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नही दिया है। रेस्पो0 एक प्रोपर्टी डीलर है जिसने राजस्व रिकार्ड की आड में विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया है तथा समस्त कंजर बस्ती से नाजायज वसूली करने के उद्देश्य से अधीनस्थ से अधीनस्थ न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही,मौके की स्थिति की वास्तविक जॉच किये बिना ही केवल पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को 7 दिवस में बेदखल करने व उसका मकान तोडने के आदेश पारित किये गये है जो विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:47 IST
Reason: SelfAttested



(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि आराजी ख0न0 2478/5186 रकबा 0.26 है0 ग्राम भगवतगढ का पुराना ख0न0 1700मिन है जिसका रेस्पो0 खातेदार है। अपीलान्ट द्वारा मुझ रेस्पो0 की उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर अवैध अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करने के कारण मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को बेदखल करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि आवंटित भूमि पर आवंटी रघुनाथ, कान्ता अथवा मुझ रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही रहा हो क्योंकि उक्त आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवंटी रघुनाथ को वर्ष 2004 मे प्राप्त हुऐ है तथा गैर खातेदारी से खातेदारी किये जाने से पूर्व आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होने संबंधी तथ्यों की जॉच की जाती है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.8.2018 के अनुसार विवादित भूमि ख0न0 2478/5186 रकबा 0.26 है0 पर अपीलान्ट द्वारा 58X36 वर्ग फिट पर मकान, 28x42,16.5x20,16.5x20 वर्ग फिट पर दुकाने तथा 30x10 के तीन मकान बनाकर कोरोना काल में कब्जा किया गया है। जहॉ तक अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नही दिये जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.1.2022 को अपना जवाब पेश किया गया जिससे यह सिद्व हो जाता है कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहॅुचते है,कि विवादित भूमि आराजी ख0न0 2478/5186 रकबा 0.26 है0 ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा पर यदि रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही होने का प्रश्न है तो अपीलान्ट को आवंटन निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। राजस्व कर्मियो यथा हल्का पटवारी, भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट जयप्रकाश द्वारा कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य किया है इसलिए रेस्पो. रूपचन्द द्वारा 183बी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवायी की जाकर बेदखली का आदेश विधिवत पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटी रघुनाथ को वर्ष 2004 मे गैर खातेदारी से खातेदारी दी गयी है तथा खातेदारी दिये जाने से पूर्व आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होने संबंधी तथ्यों की जॉच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आदेश जैर अपील विधि सम्मत होने की पुष्टि हो जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:47 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



Scanned with OKEN Scanner